



न्यायालय: अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ़,
जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी	-	नितिन ओजवानी (आर.जे.एस.) (यू.आई.डी आरजे 01538)
फौजदारी प्रकरण सं.	-	506/2017
सीआईएस नंबर	-	897/2015
एफआईआर नंबर	-	34/2015, पुलिस थाना अरांई
सीएनआर नंबर	-	RJA18-001188-2015

राजस्थान राज्य
बनाम

01. सत्यनारायण पुत्र हरलाल, उम्र तत्समय 40 साल।
02. गिरधारी पुत्र रामरतन, उम्र तत्समय 24 साल।
03. हरिबख्श पुत्र रघुनाथ, उम्र तत्समय 50 साल।
04. रामरतन पुत्र रघुनाथ, उम्र तत्समय 45 साल।
05. प्रेम पत्नी सत्यनारायण, उम्र तत्समय 40 साल।
06. नंदू पत्नी जगदीश, उम्र तत्समय 45 साल।
07. लक्ष्मण पुत्र रामकरण, उम्र तत्समय 50 साल।
08. रामकिशन उर्फ नाहर सिंह पुत्र जगदेव, उम्र तत्समय 28 साल।
09. प्रहलाद पुत्र जगदेव, उम्र तत्समय 22 साल।
10. चंदा पत्नी गिरधारी, उम्र तत्समय 45 साल।
11. कमला पत्नी लक्ष्मण, उम्र तत्समय 45 साल।
12. रामलाल पुत्र रामकरण, उम्र तत्समय 45 साल।
13. सत्यनारायण पुत्र लादू, उम्र तत्समय 40 साल।
14. नंदा पुत्र लादू, उम्र तत्समय 45 साल।

सर्वनिवासीगण खुण्डिया की ढाणी, ग्राम छोटा लाम्बा, थाना अरांई, जिला अजमेर।

- अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 325, 147, 149, भादसं.

उपस्थित:-

01. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य।
02. विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम मनोहर पुरोहित, अभियुक्तगण की ओर से।

- निर्णय -

दिनांक: 23.03.2026

1. यह पत्रावली श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, अजमेर के आदेश दिनांकित 21.11.2016 की पालना में न्यायालय-सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक



मजिस्ट्रेट, किशनगढ़, जिला अजमेर से इस न्यायालय में दिनांक 24.06.2017 को अंतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. यह प्रकरण थानाधिकारी, पुलिस थाना अरांई द्वारा जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी आरोप पत्र एफआईआर संख्या 34/2015 के माध्यम से अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 325, 147, 149 भादसं. में न्यायालय में प्रस्तुत करने पर दर्ज किया गया।

3. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी श्री श्योराम जाट ने दिनांक 16.05.2015 को प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना अरांई में इस आशय की प्रस्तुत की कि, दिनांक 15.05.2015 को लगभग सांय 7 बजे तहसीलदार साहब अरांई द्वारा हमारे कुंए के रास्ते का मौका मुआयना करके दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने तथा लड़ाई झगड़ा न करने की कहकर लौटने के पश्चात रास्ते में लाली देवी पत्नी सोराज जाट, सुरता देवी पत्नी शिवराज जाट घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में बद्रीलाल पुत्र लक्ष्मण ज्याणी, लक्ष्मण पुत्र रामकरण जाट, रामलाल पुत्र रामकरण जाट सभी एक राय होकर व सोच समझकर साजिश रचकर आये और हमें व हमारी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार व बेईज्जती करने की कोशिश की तथा हमारे साथ मारपीट की, जिस पर हम लोग चिल्लाने लगे। हमारी चिल्लाने की आवाज सुनकर हमारे घर वाले व आस पड़ोस के लोग मौके पर एकत्र हो गये व बीच बचाव करने लगे, तभी विपक्ष दल के लोग पीछे से हमलावरों ने लकड़ियों, कुल्हाड़ियों व पत्थरों से लैस होकर हमला करने लगे। हमला करने आये सत्यनारायण पुत्र लादू जाट, नंदा पुत्र लादू जाट, हरलाल पुत्र रघुनाथ, सत्यनारायण पुत्र हरलाल, हरिबख्श पुत्र रघुनाथ, रामरतन पुत्र रघुनाथ, रामाकिशन पुत्र जगदेव, प्रहलाद पुत्र जगदेव, राजू पुत्र सत्यनारायण, चंदा पत्नी गिरधारी जाट, नंदू पत्नी जगदेव, कमला पत्नी लक्ष्मण इन सभी लोगों का मकान हमारे कुंए से आते वक्त बीच में होने के कारण रास्ता रोककर इस वारदात को अंजाम दिया व बीच बचाव में आये पड़ोसी सोहनलाल पुत्र भूरा जाट, रामगोपाल पुत्र श्योजी जाट, विश्राम पुत्र श्योजी जाट (हरचंद जाट), बद्री पुत्र रिद्धकरण जाट, रामेश्वर पुत्र रिद्धकरण जाट इन सभी लोगों ने मौके पर पहुंचकर हमारी जान बचाई.....आदि।



4. प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् अनुसंधान अधिकारी के द्वारा विस्तृत अनुसंधान कर अभियुक्तगण के विरुद्ध मामला बनना पाये जाने पर धारा 323, 341, 325, 147, 149 भादसं. में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
5. न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्ट्या उक्त धाराओं के अपराध का बनना पाये जाने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धाराओं के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्तगण को तलब किया गया।
6. अभियुक्तगण के उपस्थित आने पर उक्त धाराओं के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया, जिस पर अभियुक्तगण द्वारा आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही गई।
7. हस्तगत प्रकरण में परिवादी/मजरूबान व अभियुक्तगण के द्वारा धारा 323, 341, 325 भादसं. में प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें धारा 325 भादसं. में अनुमति राजीनामा प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया, जिस पर न्यायालय द्वारा धारा 323, 341, 325 भादसं. में राजीनामा दिनांक 06.03.2026 को प्रार्थना पत्र की पुस्त पर ही तस्दीक किया गया। अतः यह निर्णय अभियुक्तगण के विरुद्ध केवल धारा 147, 149 भादसं. के तहत निम्नानुसार किया जा रहा है।
8. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने समर्थन में निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए-

दस्तावेजी साक्ष्य:-

क्र.सं.	दस्तावेज विवरण	प्रदर्श
1.	तहरीर रिपोर्ट	प्रदर्श पी 1
2.	चाक एफआईआर	प्रदर्श पी 2
3.	नक्शामौका घटनास्थल	प्रदर्श पी 3
4.	गवाह सुदाम के पुलिस बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी	प्रदर्श पी 4
5.	चोट प्रतिवेदन मजरूब सुदाम	प्रदर्श पी 5
6.	गवाह जतन के पुलिस बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी	प्रदर्श पी 6
7.	चोट प्रतिवेदन मजरूब जतन	प्रदर्श पी 7
8.	गवाह सत्यनारायण के पुलिस बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी	प्रदर्श पी 8



9.	चोट प्रतिवेदन मजरुब सत्यनारायण	प्रदर्श पी 9
10.	गवाह मोहन के पुलिस बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी	प्रदर्श पी 10
11.	चोट प्रतिवेदन मजरुब मोहन	प्रदर्श पी 11
12.	गवाह सुरता के पुलिस बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी	प्रदर्श पी 12
13.	चोट प्रतिवेदन मजरुबा सुरता	प्रदर्श पी 13
14.	गवाह लाली के पुलिस बयान अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी	प्रदर्श पी 14
15.	चोट प्रतिवेदन मजरुबा लाली	प्रदर्श पी 15

मौखिक साक्ष्य:-

क्र.सं.	गवाह का नाम	गवाह संख्या
1.	श्योराम	पी.डब्ल्यू 1
2.	सुदाम	पी.डब्ल्यू 2
3.	जतन	पी.डब्ल्यू 3
4.	सत्यनारायण	पी.डब्ल्यू 4
5.	मोहन	पी.डब्ल्यू 5
6.	लाली	पी.डब्ल्यू 6
7.	सुरता	पी.डब्ल्यू 7

9. हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष निम्न अवधार्य बिंदु उत्पन्न होता है-

“क्या अभियुक्तगण द्वारा 15.05.2015 को स्थान खुण्डिया की ढाणी, ग्राम छोटा लाम्बा, अरांई में सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य रखते हुए विधि विरुद्ध जमाव का हिस्सा होते हुए विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर परिवादी व उसके परिवारजन के साथ बल व हिंसा का प्रयोग किया ?

यदि हाँ, तो उपरोक्त दंड क्या हो ?

10. उक्त अवधार्य बिंदु के संबंध में बहस अंतिम उभय पक्षकारान की सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य सामग्री से अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकरण संदेह से परे साबित है, अतः अभियुक्तगण को कडे से कडे दंड से दण्डित किया जाना आवश्यक है।



विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तथ्यों का प्रतिवाद करते हुए मुख्य रूप से यह कथन रहा कि अभियुक्तगण द्वारा सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर किसी भी प्रकार का विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर बल व हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया है एवं साथ ही प्रकरण में परिवादी/ मजरूबान व अभियुक्तगण के मध्य धारा 323, 341, 325 भादसं. में राजीखुशी राजीनामा हो चुका है जो कि न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक किया जाकर राजीनामे की अनुमति दी गयी है। अंत में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध संदेह से परे साबित नहीं होना बताते हुए अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

11. उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधाभास तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

12. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से जो गवाहान उपस्थित हुए उनमें प्रकरण का रिपोर्टकर्ता श्योराम गवाह पी.डब्ल्यू 1 व अन्य चक्षुदर्शी गवाहान में गवाह पी.डब्ल्यू 2 सुदाम, गवाह पी.डब्ल्यू 3 जतन, गवाह पी.डब्ल्यू 4 सत्यनारायण, गवाह पी.डब्ल्यू 5 मोहन देवी, गवाह पी.डब्ल्यू 6 लाली, गवाह पी.डब्ल्यू 7 सुरता प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाह हैं। उक्त गवाहों के बयान अभियुक्तगण के प्रकरण में संलिप्त रहने बाबत अत्यधिक महत्व रखते हैं। उक्त गवाहों में यदि सर्वप्रथम प्रकरण के रिपोर्टकर्ता गवाह पी.डब्ल्यू 1 श्योराम के बयानों का अवलोकन करें तो इस गवाह द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण के बयानों में मुख्य रूप से अभियुक्तगण द्वारा सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर घटना की दिनांक 15.05.2015 को घटनास्थल पर उसके व उसके परिवारजन लाली देवी, सूरता, मोहन देवी, सत्यनारायण, सुदाम व जतन के साथ मारपीट किया जाना व उसके परिवार की औरतों के कपड़े फाड़कर उनकी लज्जा भंग किया जाना व उसके परिवारजन द्वारा एक-दूसरे का बीच-बचाव किये जाने के दौरान उनके चोटें आना एवं इस घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पुलिस थाना अरांई में उसके भाई रामेश्वर द्वारा लिखवाये जाने तथा प्रदर्श पी 2 चाक एफआईआर पर स्वयं के हस्ताक्षर होने के कथन किये हैं। अपनी **जिरह** में उक्त गवाह द्वारा मुख्य रूप से यह जाहिर किया कि उसके कुंए का झगड़ा था। उसके परिवार के लगभग पांच छह जने थे व मुलजिमान



के परिवार के लगभग 22 जने थे। अभियुक्तगण के परिवारवालों ने हमारी औरतों को छेड़ा तब झगड़ा हुआ था। यह कहना सही है कि झगड़ा कुण्डियाओं की ढाणी जाने वाले रास्ते के बीच में हुआ था। यह कहना गलत है कि हमने चारागाह की भूमि पर रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा हो और उसका मुलजिमान ने ऐतराज किया हो। वहीं प्रकरण के अन्य चक्षुदर्शी गवाहान पी.डब्ल्यू 2 सुदाम, गवाह पी.डब्ल्यू 3 जतन, गवाह पी.डब्ल्यू 4 सत्यनारायण, गवाह पी.डब्ल्यू 5 मोहन देवी, गवाह पी.डब्ल्यू 6 लाली, गवाह पी.डब्ल्यू 7 सुरता जो कि प्रकरण के मजरूबान भी हैं, के न्यायालय के समक्ष हुए बयानों का एकसाथ अवलोकन किया जाये तो उक्त सभी गवाह/मजरूबान न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। उक्त सभी गवाहों द्वारा अपने मुख्य परीक्षण के बयानों में एक स्वर में उन्हें इस प्रकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं होना स्पष्ट जाहिर किया है। उक्त सभी गवाहों द्वारा अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी जिरह में भी एक स्वर में यह जाहिर किया कि उनके साथ किसी ने मारपीट नहीं की। उनके स्वयं गिरने से चोट आ गयी थी। उनका राजीनामा हो गया है। वे इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। साथ ही उक्त गवाहों द्वारा अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 4, प्रदर्श पी 6, प्रदर्श पी 8, प्रदर्श पी 10, प्रदर्श पी 12 व प्रदर्श पी 14 पुलिस को नहीं दिया भी साफ जाहिर किया गया है।

यद्यपि प्रकरण के रिपोर्टकर्ता/परिवादी गवाह पी.डब्ल्यू 1 श्योराम द्वारा न्यायालय के समक्ष घटना की दिनांक 15.05.2015 को अभियुक्तगण द्वारा सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर उसके व उसके परिवारजन के साथ मारपीट किया जाना व उसके परिवार की औरतों के कपड़े फाड़कर उनकी लज्जा भंग किया जाना व उसके परिवारजन द्वारा एक-दूसरे का बीच-बचाव किये जाने के दौरान उनके चोटें आने के कथन किये हैं, परन्तु उसके परिवारजन प्रकरण के मजरूबान पी.डब्ल्यू 2 सुदाम, गवाह पी.डब्ल्यू 3 जतन, गवाह पी.डब्ल्यू 4 सत्यनारायण, गवाह पी.डब्ल्यू 5 मोहन देवी, गवाह पी.डब्ल्यू 6 लाली, गवाह पी.डब्ल्यू 7 सुरता न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुए हैं एवं उक्त गवाहों द्वारा एक स्वर में प्रकरण के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होना स्पष्ट जाहिर किया है। साथ ही उक्त सभी गवाहों द्वारा उनके साथ किसी के द्वारा भी मारपीट नहीं किया जाना व उनके स्वयं गिरने से चोट आ जाने के स्पष्ट कथन किये हैं। साथ ही उक्त गवाहों द्वारा अपने पुलिस बयान पुलिस को नहीं दिया भी साफ जाहिर किया गया है एवं



साथ ही उक्त गवाहों द्वारा यह जाहिर है कि उनका राजीनामा हो गया है अब वे इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः उक्त समस्त गवाहों के बयानों से अभियोजन कहानी की लेशमात्र भी ताइद नहीं होती है।

13. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभियोजन के विवेचन से स्पष्ट है कि दिनांक 06.03.2026 को मुल्जिमान के साथ परिवादी/मजरूबान का राजीनामा अन्तर्गत धारा 323, 341 व 325 भादसं. हो चुका है। साथ ही चूंकि परिवादी व आहतगण द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा होना जाहिर किया है तथा अपने सशपथ बयानों में ऐसा कोई भी कथन नहीं किया गया है जो कि अभियुक्तगण द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 147, 149 भादसं. किये जाने के संबंध में न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करता हो। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित जिन अपराधों का विचारण शेष है उनमें अपराध कारित करने के लिये सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर बल व हिंसा का होना आवश्यक तत्व है एवं विधि विरुद्ध जमाव के अपराध के सृजन में कम से कम पांच व्यक्तियों का होना आवश्यक है। इसके अलावा प्रत्येक का एक-दूसरे के सामान्य उद्देश्य में भागीदार होना भी आवश्यक है, परंतु न्यायालय के समक्ष आई साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरुद्ध जमाव का गठन करते हुए बल व हिंसा किये जाने के तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण का सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर संख्या में पांच या पांच से अधिक होते हुए विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर उसके सदस्य रहते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल व हिंसा किया जाना नहीं माना जा सकता है। अतः उपरोक्तानुसार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य में गवाहान की साक्ष्य से अपराध अन्तर्गत धारा 147, 149 भादसं. युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं हो पाया है।

14. चूंकि अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध को सकारात्मक रूप से साबित करने का संपूर्ण दायित्व एवं भार अभियोजन पक्ष का होता है, परंतु उपर्युक्त विवेचना से यह सुस्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अपितु अभियुक्तगण के द्वारा अपराध कारित किया



जाना संदेहास्पद है और विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न होने पर संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए।

15. अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध कि, क्या अभियुक्तगण द्वारा 15.05.2015 को स्थान खुण्डिया की ढाणी, ग्राम छोटा लाम्बा, अरांई में सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य उद्देश्य रखते हुए विधि विरुद्ध जमाव का हिस्सा होते हुए विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर परिवादी व उसके परिवारजन के साथ बल व हिंसा का प्रयोग किया, को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। लिहाजा अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

- आदेश -

16. अतः अभियुक्तगण 01. सत्यनारायण पुत्र हरलाल, उम्र तत्समय 40 साल, 02. गिरधारी पुत्र रामरतन, उम्र तत्समय 24 साल, 03. हरिबख्श पुत्र रघुनाथ, उम्र तत्समय 50 साल, 04. रामरतन पुत्र रघुनाथ, उम्र तत्समय 45 साल, 05. प्रेम पत्नी सत्यनारायण, उम्र तत्समय 40 साल, 06. नंदू पत्नी जगदीश, उम्र तत्समय 45 साल, 07. लक्ष्मण पुत्र रामकरण, उम्र तत्समय 50 साल, 08. रामकिशन उर्फ नाहर सिंह पुत्र जगदेव, उम्र तत्समय 28 साल, 09. प्रहलाद पुत्र जगदेव, उम्र तत्समय 22 साल, 10. चंदा पत्नी गिरधारी, उम्र तत्समय 45 साल, 11. कमला पत्नी लक्ष्मण, उम्र तत्समय 45 साल, 12. रामलाल पुत्र रामकरण, उम्र तत्समय 45 साल, 13. सत्यनारायण पुत्र लादू, उम्र तत्समय 40 साल, 14. नंदा पुत्र लादू, उम्र तत्समय 45 साल सर्वनिवासीगण खुण्डिया की ढाणी, ग्राम छोटा लाम्बा, थाना अरांई, जिला अजमेर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 147, 149 भादसं. में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

17. अभियुक्तगण को पूर्व में दिनांक 06.03.2026 को धारा 323, 341, 325 भादसं. में बरूवे राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है।



18. अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने बाबत् धारा 437 ए दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 10,000/- रुपये जमानत एवं इसी राशि का स्वयं का मुचलका निष्पादित करें, अभियुक्तगण आजाद रहे।

19. अभियुक्तगण के पूर्व में निष्पादित जमानत मुचलके रद्द किये जाते हैं। अतः अपील की अवधि की समाप्ति के पश्चात् जमानतनामा निरस्त समझा जाये। प्रकरण में यदि कोई मालखाना हो तो उसका बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

(नितिन ओजवानी)

अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगढ, जिला अजमेर

20. निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नितिन ओजवानी)

अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगढ, जिला अजमेर